विज्ञापन

संख्या 17(5)/2010-पी.एल./एन.जी.टी.
भारत सरकार
पर्यावरण एवं वनं मंत्रालय
नई दिल्ली - 110003

विषय : राष्ट्रीय हरित अधिकरण में न्यायिक सदस्य और सुविज्ञ सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित हैं

भारत सरकार ने पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार और व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देना और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों सहित पर्यावरण सुरक्षा और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) अधिनियम, 2010 (2010 का 19) अधिनियमित किया है । एन.जी.टी. अधिनियम के अध्ययन II की धारा 3 के अनुसार केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया है । एन.जी.टी. अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार न्यायिक और सुविज्ञ सदस्यों के पदों को भरने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्यों के निम्नलिखित पदों के लिए सुपात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित हैं ।

(i)	न्यायिक सदस्य	-	10 (दस) पद
(ii)	सुविज्ञ सदस्य	-	10 (दस) पद

भर्ती प्रक्रिया - सदस्य की भर्ती की प्रक्रिया संविदा आधार पर सीधी भर्ती द्वारा होगी ।

बशर्ते कि सरकारी अथवा किसी स्वायत्त निकाय अथवा किसी वैधानिक निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय में सेवारत व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विकल्प दे सकता है ।

बशर्ते कि कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह नियुक्ति आधार पर समतुल्य पदधारी हो अथवा समतुल्य पद से एक स्तर निचले पद का पदधारी हो ।

उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश, जिसे न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हो, के मामले में, अधिकरण में उसका सेवाकाल, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग घ के पैराग्राफ 11 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) के अर्थ में वास्तविक सेवा के रूप में समझा जाएगा ।

अधिकरण के सदस्य के पद के लिए अर्हताएं, और अन्य अपेक्षाएं, कार्यकाल, वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें नीचे दी गई हैं :

योग्यता : न्यायिक और सुविज्ञ सदस्यों के लिए योग्यताएं और अन्य अपेक्षाएं निम्न प्रकार हैं :-

सदस्य (न्यायिक): अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह व्यक्ति (क) भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो ; अथवा (ख) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो ।

सदस्य (सुविज्ञ): कोई व्यक्ति सुविज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य तभी होगा :-

(क) यदि उसके पास डॉक्ट्रेट डिग्री सहित (भौतिक विज्ञान अथवा जीवन विज्ञान में) विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री हो तथा उसे पर्यावरण एवं वन (प्रदूषण नियंत्रण, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन , पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन, जैव-विविधता प्रबंधन और वन संरक्षण सहित) के क्षेत्र में 5 (पांच) वर्षों के व्यावहारिक अनुभव सहित संगत क्षेत्र में किसी मान्य राष्ट्रीय संस्थान का 15 (पंद्रह) वर्षों का अनुभव हो ।

(ख) उसे केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी मान्य राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर संस्थान में पर्यावरणीय मामलों को निपटाने के लिए 5 (पांच) वर्षों के अनुभव सहित 15 (पंद्रह) वर्षों का प्रशासनिक अनुभव हो ।

कार्यकाल

(i) न्यायिक सदस्य का कार्यालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उसके कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से 5 (पांच) वर्षों तक का होगा ।

बशर्ते ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हो अथवा रहा हो, अधिकरण में न्यायिक सदस्य के रुप में नियुक्त किया गया हो वह व्यक्ति 70 (सत्तर) वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कार्यरत नहीं रहेगा ।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि ऐसे मामले में, जब कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रहा हो, अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हो तो वह व्यक्ति 67 (सड़सठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त कार्यालय में कार्यरत नहीं रहेगा ।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि ऐसे मामले में, जब कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो, अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रुप में नियुक्त किया गया हो तो वह व्यक्ति 67 (सड़सठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त कार्यालय में कार्यरत नहीं रहेगा ।

(ii) राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सुविज्ञ सदस्य कार्यालय में प्रवेश करने की तिथि से 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, कार्यालय में कार्यरत रहेगा ।

....

वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें :

वेतन और भत्ते -

(i) न्यायिक सदस्य 80,000/- (अस्सी हजार) (निश्चित) के मासिक वेतन और उतने भत्ते, जितने कि उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं, का हकदार होगा ।

(ii) सुविज्ञ सदस्य 80,000 (अस्सी हजार) रुपए (निश्चित) के मासिक वेतन और उतने भत्ते, जितने कि भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं, का हकदार होगा ।

बशर्ते ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है, और कुछ पेंशन पा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि घटा दी जाएगी ।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि कोई सदस्य ऐसे वेतन निर्धारण से पूर्व के मूल वेतन पर भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा ।

आवास किराया भत्ता :

न्यायिक सदस्य अथवा सुविज्ञ सदस्य, लिए गए मूल वेतन के 30% (तीस प्रतिशत) की दर पर आवास किराया भत्ते के दावे का विकल्प देने के हकदार होंगे ।

बशर्ते कि वह दिल्ली में सामान्य पूल आवासीय स्थान के लिए पात्र घोषित होने की स्थित पर ही आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होगा ।

पात्र और इच्छुक व्यक्ति 13 जनवरी 2011 तक अथवा उससे पहले, निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-I) में अपने आवेदन, श्रीमती सुनीता सिंह, निदेशक, कमरा संख्या 717, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 को जमा कर सकते हैं । वे लोग जो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वशासी निकायों/पीएसयू/विश्व विद्यालयों में कार्यरत्त है; वे यथा लागू, गत पांच वर्षों के ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. की छायाप्रति सहित, उचित माध्यम द्वारा अपने आवेदन भेज सकते हैं । इस आवेदन को अग्रेषित करते समय, यह प्रमाणित किया जाए कि आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा सतर्कता मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है । आवेदक की सत्य निष्ठा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित भी किया जाए ।

वे आवेदन जो अपूर्ण हैं अथवा निर्दिष्ट प्रारूप मे नहीं हैं अथवा जिनके साथ उपर्युक्त उल्लिखित ब्यौरे संलग्न नहीं हैं वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे और तत्काल रद्द माने जाएंगे ।

विज्ञापन और निर्धारित आवेदन पत्र, मंत्रालय की वेबसाइट www.moef.nic.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

सुनीता सिंह

(सुनीता सिंह)
निदेशक
दूरभाष संख्या: 011-24361795

अनुबंध

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्य (न्यायिक /सुविज्ञ) के पद के लिए आवेदन का प्रारूप

आत्मवृत्त

अभ्यर्थी के विधिवत हस्ताक्षर सहित फोटोग्राफ के लिए स्थान

1. पद, जिसके लिए आवेदन किया गया है :

   (i) सदस्य (न्यायिक)
   (ii) सदस्य (सुविज्ञ)

2. नाम और पता :
   (बड़े अक्षरों में)

3. जन्म तिथि :
   (ईसाई सम्वत में)

4. पिता का नाम :

5. केन्द्र / राज्य सरकार नियमावली
   के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि :

6. शैक्षणिक योग्यताएं :

क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं पूरी हैं । (यदि किसी योग्यता को नियमावलियों में एक विनिर्दिष्ट के समतुल्य माना गया है तो उसके प्राधिकारी/प्राधिकरण का उल्लेख करें):

अर्हताएं / अनुभव

विश्वविद्यालय / समतुल्य संस्थान का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी / प्राप्त अंकों का प्रतिशत	शैक्षणिक उत्कृष्टता	विषय / विशेषज्ञता

(संगत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जाएं)

7. पात्रता शर्तों के विशिष्ट संदर्भ सहित अनुभव :

8. आपके द्वारा उपरोक्त भरी गई सूचना के परिपेक्ष्य में उल्लेख

कृपया स्पष्टत: करें कि क्या आप इस पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं :

9. कालानुक्रम में रोजगार के ब्यौरे : (वर्तमान पद से प्रारम्भ करते हुए, अपक्रम में सूचीबद्ध)
(इस संबंध में आप स्व अधिप्रमाणित एक अलग शीट संलग्न कर सकते हैं)

नियोक्ता का नाम और पता	पदनाम, क्या नियमित/ प्रतिनियुक्ति / तदर्थ हैं	वेतन मान	सेवाकाल		कार्य / अनुभव की प्रकृति
			से	तक	

10. क्या आप संविदा आधार पर सीधी भर्ती ; अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए इच्छुक हैं : (केवल योग्य आवेदक के लिए)

11. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर होते, तो कृपया उल्लेख करें :

(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि:

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि:

(ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम जहां से आप हैं :

12. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे :

13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं?
यदि हां, तो तिथि बताएं, जबसे वेतनमान संशोधित किया गया है और
पूर्व-संशोधित वेतनमान भी दर्शाएं ।

14. प्रतिमाह प्राप्त कुल परिलब्धियां :

15 क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं :
(संगत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

16. निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त जानकारी : आवेदक इसके संबंध में जानकारी दे सकते हैं ।

(i) अनुसंधान प्रकाशन तथा रिपोर्टें और विशेष परियोजनाएं
(ii) एवार्ड/छात्रवृत्ति/कार्यालयी सराहना
(iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/समितियों के साथ संबंद्धता और
(iv) कोई अन्य सूचना ।

17. संपर्क संख्या (कार्यालय)--------------------(आवास)----------------(मोबाइल)------------------
ई-मेल आइडी :

मै प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती सूचना मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास में सही और पूर्ण है तथा कुछ भी छिपाया/विरूपित नहीं किया गया है । यदि किसी भी समय पर यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छिपायी/विरूपित की गई है तो मेरी नियुक्ति सरकारी तौर पर बिना सूचना दिए बर्खास्त की जा सकेगी ।

(आवेदक के हस्ताक्षर और पता)

दिनांक :

स्थान :

प्रतिहस्ताक्षर

(मोहर सहित नियोक्ता के हस्ताक्षर)